ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-1* February-2017
Innovation The Research Concept

महिलाओं के प्रति हिंसा : सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के सन्दर्भ में

रश्मि पाण्डेय
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग,
अकबरपुर पी0जी0
महाविद्यालय, अकबरपुर,
कानपुर देहात

सारांश

आज भारत में नारी के समक्ष वर्जनाओं की लक्ष्मण रेखा कम हुई है और वह उन्मुक्त वातावरण में सांस लेने लगी है। आज विज्ञान हो या समाजशास्त्र, पर्यावरण हो या अंतरिक्ष यात्रा, राजनीति हो या उद्योग, प्रत्येक क्षेत्र में नारी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वस्तुतः आज नारी की सामाजिक स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। वह घर की चार–दीवारी को लांघकर बाहर आयी है, उसने पर्दे में रहना अस्वीकार कर दिया है। इस विषय में हमारी सरकार ने भी पर्याप्त सुविधायें जुटाई हैं। अब कन्याओं को पिता की सम्पत्ति में समान भाग का अधिकार बना दिया गया है। विधवा विवाह भी वैध ठहराये गये हैं। घरेलू हिंसा को पूर्ण रूप से अवैधानिक स्वीकार किया गया है। राजनीति में स्थानीय स्तर पर आक्षण प्रदान किया गया है। परन्तु फिर भी महिलाओं के प्रति हिंसा के सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में अभी बहेतु कुछ होना बाकी है। इस परिवर्तन में गैर सरकारी सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों की महती भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः गैर सरकारी सामाजिक संगठनों एवं महिला संगठनों की सकारात्मक भूमिका हिंसा की शिकार महिलाओं को आश्रय, सहयोग तथा न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को वैयक्तिक स्तर पर प्रयासों को भी प्रमुखता प्रदान करनी होगी। वैयक्तिक स्तर पर महिलायें शिक्षित होकर, आत्मविश्वास में वृद्धि कर, आत्मनिर्भर होकर स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर और चरित्र को दृढ़ता प्रदान कर अपने प्रति हिंसा का प्रतिरोध कर सकती है। सामाजिक रूप से पारिवारिक सदस्यों के सहयोग तथा व्यवहार के द्वारा महिलाओं पर होने वाले शोषण, जुल्म तथा प्रताड़ना को कम किया जा सकता है। समुचित और त्वरित न्याय की व्यवस्था कर महिलाओं को सम्बल प्रदान किया जा सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभावी है। सरकार द्वारा महिलाओं के हितार्थ, कल्याणार्थ अनेकानेक योजनायें जो वर्तमान में चल रही है उन्हें और अधिक प्रभावी बनाकर एवं निष्पक्ष रूप से इन योजनाओं को लागू कर महिलाओं के प्रति हिंसा में कमी लायी जा सकती है और महिला के प्रति हिंसा के बढ़ते ग्राफ को रोका जा सकता है।

मुख्य शब्द : वर्जना, आत्मनिर्भर, हितार्थ, कल्याणार्थ, सम्बल, आत्मविश्वास।

प्रस्तावना

हिंसा एवं अपराध सार्वभौम है। अपराध होते रहे हैं, हो रहे हैं तथा होते रहेंगे। मानवीय सामाजिक जीवन बितारे के कर (जंग) के रूप में अपराधिक हिंसा को सहन करना पड़ता है। स्त्रियों के प्रति अपराध एवं हिंसा (अथवा हिंसात्मक अपराध) की घटनायें आये दिन हमारे समक्ष आती हैं। महिलाओं पर हेने वाली हिंसा से समाज वैज्ञानिक, नीति–निर्धारक, समाज सुधारक व अन्य सभी चिन्तित हैं। यह सही भी है क्योंकि स्त्री को सुरक्षा व सुख प्रदान करने बे बदले पुरुषों ने स्त्री को तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा की है, उसका अपमान व शोषण किया है तथा यहाँ तक कि उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है। मानवीय इतिहास में होने वाली ऐसी घटनाओं की वृद्धि के प्रति वस्तुतः चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। स्त्री को शारीरिक व मानसिक यातनायें देना, उसके साथ मार–पीट करना, उसका शोषण करना, स्त्रीत्व को नंगा करना, भूखा–प्यासा रखकर या जहर आदि देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा है।

महिलाओं के प्रति हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है यथा– आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक हिंसा। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति

अपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं। बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के उदाहरण हैं। द्वितीय श्रेणी में परिवारों में स्त्री के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है। दहेज हत्याएँ, पत्नी को पीटना तथा विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी में आते हैं। तीसरी श्रेणी सामाजिक हिंसा की है जिसमें पत्नी/बहू को भ्रूण हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को 'सती' के लिए विवश करने, स्त्रियों को सम्पत्ति में हिस्सा न देने, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में देखा जा सकता है।

आज केवल भारत में ही नहीं अपितु सभी देशों में करोड़ों स्त्रियाँ हिंसा की शिकार हैं। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा सार्वभौमिक तथ्य बन गया है जिस पर संस्कृति, धर्म अथवा नृजातीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोजाना, अनगिनत स्त्रियों से उनके पतियों तथा परिजनों द्वारा मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। स्त्री की स्वायत्ता को लेकर जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं उनमें कई चौकाने वाले है यथा– 68 प्रतिशत महिलाओं को बाजार जाने हेतु अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है, 76 प्रतिशत महिलाओं को अपनी सहेलियों अथवा रिश्तेदारों से मिलने हेतु अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है, केवल 66 प्रतिशत महिलाओं को अपनी–अपनी आय को अपनी इच्छानुसार खर्च करने की अनुमति है। इस प्रकार की महिलाओं को अपने खर्चे का ब्यौरा अपने पति को देना पड़ता है, पाँच में से तीन महिलाओं के अनुसार उनके प्रति हिंसा के लिए बिना पति को बताये कहीं बाहर चले जाना, बच्चों अथवा घर की देखभाल न करना, सास–ससुर, देवर या ननद का सम्मान न करना, उनकी मांग तथा स्वाद के अनुसार खाना न बनाना, पति द्वारा उनकी नैतिकता पर शक करना, दहेज न लाना कुछ भी मन मानी करना आदि विशेष कारण हैं। स्त्रियों के प्रति हिंसा उस शक्तिबल (फोर्स) का द्योतक है जो चाहे गुप्त रूप से या प्रकट रूप से स्त्री से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त हो जिसे वह अपनी इच्छा से न देना चाहे, और जो उसे शारीरिक आघात या भावात्मक आघात या दोनों पहुँचाता हो।

स्त्रियों के प्रति हिंसा को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है– आपराधिक (Criminal), हिंसा (बलात्कार, अपहरण, हत्या), घरेलू (Domestic) हिंसा (दहेज हत्या, पत्नी की पिटाई, नातेदारों द्वारा यौन शोषण, विधवाओं और वृद्ध महिलाओं से दुर्व्यवहार, बहू को यातना), और सामाजिक (Social) हिंसा (पत्नी या बहू को कन्या भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, छेड़छाड़, युवा विधवा को 'सती' होने के लिए बाध्य करना, स्त्री को सम्पत्ति में से हिस्सा देने से इंकार करना) आज की सामाजिक व्यवस्था ही मानो महिला भक्षिणी हो रही है। नारी 'व्यक्ति' न मानी जाकर 'वस्तु' मानी जा रही है। दहेज का साधन, विवाह में बिकने वाली वस्तु, सुन्दर बहू, गर्व व आत्म–प्रदर्शन का हेतु, कर्मठ बहू दासी रूप, सेविका रूप, चंचल नारी, कुलक्षिणी, रूपवती विज्ञापन की वस्तु, कलाकार नारी शोषण की वस्तु, कामकाजी महिला नयनाभिराम दृश्य विषय, अकेली नारी बलात्कार की वस्तु, हर क्षेत्र में पुरुष भेड़िया बनकर नारी को निगलना चाहता है। आयोग की सचिव श्रीमती बीनू सेन का कहना है कि पहले यह समझा जाता था कि यदि महिला आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी तो अपनी सुरक्षा वह स्वयं कर सकेगी, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह मिथक भी त्रुटिपूर्ण व झूठा साबित हुआ। घरेलू महिलाओं के साथ–साथ कामकाजी महिलाओं पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. उत्पीड़ित महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति को ज्ञात करना।
2. उत्पीड़ित महिलाओं की सामाजिक दशा को ज्ञात करना।
3. महिलाओं पर होने वाली हिंसा का समर्थन करने वाली प्रवृत्तियों तथा मान्यताओं में बदलाव का पता करना।
4. महिलाओं पर हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाने वाले के विचारों को जानना।
5. महिलाओं पर हिंसा के अंत के लिए लोकप्रिय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना।
6. यह पता लगाना कि कितनी उत्पीड़ित महिलाएँ इस संगठन से लाभान्वित हुई हैं।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

सदियों से समाज में नारी का विशेष स्थान रहा है। घर एक मंदिर की अवधारणा के अन्तर्गत स्त्री को गृहलक्ष्मी की संज्ञा से सम्बोधित किया गया है। पत्नी का पुरुष की अर्द्धांगिनी, सहधर्मचारिणी तथा धर्मपत्नी कहा गया है। पत्नी के अभाव में पति द्वारा किये गये धार्मिक कार्य को निष्फल माना गया है किन्तु हमारे रीति–रिवाज, व्रत, त्यौहार, पर्व, दावतें, हमें कभी भी भूलने नहीं देता कि पुरुषों का दर्जा औरतों से ऊँचा है, करवा–चौथ, अहोई तथा तीज सभी समाज में स्त्री पुरुष के इस असमान संतुलन को बनाये रखने में मदद करते हैं। हमारी भाषा भी इस भेदभाव को बढ़ाती है जैसे उदाहरण के लिए अब पति शब्द को ही ले ले, पति शब्द का अर्थ है काबू में रखने वाला या मास्टर जैसे भूमिपति। इससे पति की जगह स्वामी शौहर, खाविद साहिब आदि शब्द इस्तेमाल किये जाते हैं जिनमें कहीं भी बराबरी, दोस्ती, सहभागिता का जज्बा नहीं है। यह सिर्फ दबाव–नियंत्रण और ताकत का एहसास कराता है। औरतों और बच्चों पर होने वाली यौन हिंसा एक विश्वव्यापी सच्चाई है यह उतना ही बड़ा सच है जितना औरतों पर पुरुषों का दबाव। यह औरतों के साथ रोजमर्रा होने वाले उन हादसों में से एक है जिसे समाज अनदेखा करता है। आँकड़े बताते हैं कि औरतों के साथ हिंसा सदियों से पीढ़ी–दर–पीढ़ी चली आ रही है पितृसत्तात्मक सोच जो पुरुषों को औरतों से श्रेष्ठ व बेहतर मानती है।

उपकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन की उपकल्पना निम्नलिखित है–

1. महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर निम्न होता है।

2. निम्न वर्ग की महिलायें हिंसा की अधिक शिकार होती हैं।
3. महिलाओं के प्रति हिंसा का मुख्य कारण आर्थिक है।
4. महिलाओं की शारीरिक हिंसा के पीछे महिलायें ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
5. अपने विरूद्ध हो रही हिंसा के विरूद्ध अधिकांश महिलायें अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती हैं क्योंकि ऐसा करने से उनके जीवन को खतरा है।
6. महिलाओं पर हिंसा का स्वरूप शारीरिक की अपेक्षा व्यंग्यात्मक अधिक होता है।
7. महिलाओं में शिक्षा के व्यापक प्रसार से उनके प्रति हिंसा को कम किया जा सकता है।

हिंसा की अवधारणा को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं अपराध शास्त्रियों ने समय–समय पर अपने–अपने दृष्टिकोणों के आधार पर इसे परिभाषित किया है। रिचर्ड जे0 गैलिस हिंसा एवं दुर्व्यवहार जैसे शब्दों की सही परिभाषा दर्शाने को अत्यन्त कठिन कार्य मानते हैं, उनके अनुसार ये ऐसे निन्दनीय एवं भावात्मक शब्द हैं जिसका उपयोग व्यवहार के विचलन को ध्यानाकृष्ट करने में होता है। मारविन ई0 वुल्फगोग के अनुसार हिंसा का तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर शारीरिक बल या हानिकारक शारीरिक उद्दीपन पैदा करना माना है। राबर्ट एल0 सेंडाफ ने व्यक्तियों के बीच होने वाली कोई शारीरिक या भावनात्मक विनाशक कृत्य को हिंसा माना है। रिचर्ड जे0 गैलिस एवं एम0ए0 स्ट्रास के अनुसार व्यक्ति को .चोट या नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया। कार्य हिंसा कहलाता है।[6] इन्साइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एण्ड जस्टिस में व्यक्त किया गया है कि हिंसा वास्तविक या काल्पनिक प्रकार के आचरण से संबंधित अभिव्यक्ति है तथा इस अवैध व्यवहार के परिणामस्वरूप किसी प्रकार की व्यक्तिगत क्षति, सम्पत्ति विनाश या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। विलियम लिटिल के अनुसार 'चोट पहुँचाने हेतु किया गया शारीरिक बल प्रयोग है।' टाइगर एल0 के कथनानुसार 'धमकीदाता तथा धमकीग्रहीता के मध्य द्वन्द्व के निराकरण या टालने हेतु हिंसा शारीरिक बल के साथ जबरदस्ती नियंत्रण का द्योतक है। वाल्टर ई0 का भी मत है कि हिंसा शब्द हानिकारक क्षति की सीमा को सीमाबद्ध करता है। इस प्रकार यह काल का विनाशकारी प्रकार है। वे स्पष्ट करते हैं कि ''जब शक्ति के रूप में हिंसा प्रयुक्त होती है तब वस्तुओं का यत्नपूर्वक विनाशकाल की सीमा होती है।'

हिंसा एक व्यापक शब्द है जो कई प्रत्यक्ष रूपों को समाहित करता है। शत्रुता, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक आक्रमकता, क्रोध, उत्पात इत्यादि उत्तेजक शब्द है जो कि हिंसा के अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं। शक के अनुसार हिंसा 'उस व्यक्ति या समूह के ऊपर ऐच्छिक रूप से किया गया बल प्रयोग है जो कि उस व्यक्ति या समूह को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुँचाता है जिसके विरूद्ध यह प्रयोग किया जाता है। मारमोर जे0 ने भी हिंसा को बल के विशिष्ट रूप में परिभाषित किया है, जिसमें लक्ष्य को नष्ट या क्षति पहुँचाने के लिए कुण्ठा के वास्तविक या संभावित श्रोत या खतरे का भय या उसका प्रतीक समाहित है।

निष्कर्ष

वैश्विक धरातल पर महिला को समाज, संस्कृति एवं सभ्यता का मेरुदण्ड माना गया है। विश्व की सभी संस्कृतियों में महिलाओं के प्रति विशेष उदार और उन्नत विचार रखे गये हैं। महिला को शक्ति का महान भण्डार और परिवार की नींव माना गया है। चूँकि परिवार समुदाय की नींव हैं और समुदाय राष्ट्र की, अतएव महिला ही समाज व राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है परन्तु इस सबके पश्चात भी व्यावहारिक रूप में महिला अपने परिवार में ही सुरक्षित नहीं रही है महिला के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। महिलाओं के प्रति हिंसा की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखी जा सकती है। 21वीं शताब्दी में भी पुरुष समाज नारी को आज भी गांधारी के रूप में देखना पसंद करता है। लोकपवाद के कारण सीता की तरह उसे बहिष्कृत कर देता है। एक ओर नारी की क्षणिक भूल को क्षमा करने के स्थान पर अहिल्या बना देता है तो दूसरी ओर द्रोपदी के रूप में उपभोग भी करना चाहता है। नारी को हमेशा ही सामाजिक व्यवस्था में निचले स्तर पर रखा गया है और उसके संदर्भ में पुरुषों की अपेक्षा नारी पर अनेकानेक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक निषेध लगाये गये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *इन्साइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एण्ड जस्टिस : साइकोपेथी टू यूथ : ग्लासरी इंडेक्स, 1983 मेकमिलन एण्ड फ्री प्रेस, वाल्यूम 4*
2. *राबर्ट एल0 सेंडाफ : वायलेंस एण्ड रिस्पांसबिल्टी, न्यूयार्क, 1984*
3. *स्ट्रास एम0ए0, गेलिस आर0जे0 एवं स्टिन्नमिट्स एम0के0 : बिहाइण्ड क्लोस्ट डोर वायरलेंस इन द अमरीकन फेमिली, गार्डन सिटी न्यूयार्क डबलडे, 1980*
4. *टाइगर एल0 : मेन इन ग्रुप्स, लंदन, यू0के0, 1969*
5. *वाल्टर एल0ई0 : हिस्ट्री ऑफ ळयूमेन मैरिज, यू0एस0ए0, 1964*